

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 106 व 107 / 2014.....जिला.....जयपुर

उनवान—मैसर्स एम.आई.आर.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री अमर सिंह, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी—तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्—पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक <u>22.01.2014</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त—तृतीय (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 18(2), 25, 55, 61(2) व 61(2)(बी) के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष <u>2011–12</u> व <u>2012–13</u> के लिये पारित निर्धारण आदेशों दिनांक <u>13.12.2013</u> के जरिये कायम की मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान कर व ब्याज की मांग राशियां क्रमशः ₹3,45,21,390/- व ₹1,55,12,238/- पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद, बहस हेतु दिनांक 29.01.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस वसूली स्थगन पर सुनी जाकर अपील पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस संबंध में तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में ही पंजीकृत व्यवहारी मैसर्स रिषभ कम्प्यूट्रोनिक्स, लि., जयपुर से वस्तुयें क्य की गयी थीं, जिसे बिकी कर प्रोत्याहन योजना, 1987 (जिसे आगे “योजना” कहा जायेगा) के तहत दिनांक 14. 06.2005 से दिनांक 13.06.2010 तक आस्थगन योजना का लाभ प्राप्त था एवम् उक्त को दिनांक 25.08.2014 तक विस्तारित किया गया था।</p>	

03.02.2014

- 4 -

प्रकाश में, हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है।

इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में मैसर्स रिषभ कम्प्यूट्रोनिक्स, लि., जयपुर को योजना के तहत 4 करोड़ रुपये तक की सीमा तक ही बिकी कर में छूट का अधिकार प्राप्त था जो उक्त के द्वारा निर्धारण वर्ष 2008–09 में प्राप्त कर ली गयी। अतः विक्रेता व्यवहारी योजना के तहत विहित प्रावधानों के तहत कर भुगतान आस्थगन का पात्र नहीं है। इस संबंध में योजना के परिष्टि-सी (Quantum of Sales Tax Exemption) के बिन्दु संख्या-3 की ओर आकर्षित किया गया, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:— Sales Tax exemption shall be subject to an overall limit of Rs 4.00 Crores in each/any case. The overall limit in case of pioneering industry shall be Rs. 6.00 Crores and in case of a prestigious unit, Rs. 8.00 Crores. कथन किया कि उक्त फर्म के निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 जो कि निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये पारित किया गया है, में भी उक्त को आस्थगन का पात्र नहीं होना माना गया है। जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ का प्रश्न है, कथन किया कि प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में भिन्न तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं किये जाने का निवेदन कर, राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 995/2012/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 03.08.2012 को प्रोद्धरित कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन किया गया। इस संबंध में योजना के क्लॉज 4 के परन्तुक सपठित संलग्न “सी” के नोट के बिन्दु संख्या 3 के पठन में स्पष्ट है कि विक्रेता व्यवहारी को अधिकत लाभ रूपये 4 करोड़ तक सीमीत था जो उसके द्वारा निर्धारण वर्ष 2008–09 तक प्राप्त कर लिया जो निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 से स्पष्ट है अतः उक्त के पश्चात् विक्रेता व्यवहारी करदायित्वाधीन है। अतः प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि को सम्मान व्यक्त कर, यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण में अन्तर्वलित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति, प्रोद्धरित

03.02.2014

अधिनियम की धारा 10 के तहत विकेता व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने के सबूत का भार का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। पुनः उल्लेखनीयन्यायिक दृष्टांत में निर्वचित विधि के प्रावधानों से भिन्न है क्योंकि इस संबंध में बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 995/2012/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 03.08.2012 में समान बिन्दुओं पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वैट व्यवस्था का मूल आधार ही प्रथम बिन्दु पर वसूल किये गये कर को राजकोष में भुगतान करने के तथ्य का सत्यापन पाये जाने की दशा में ही आगामी बिन्दुओं परघोषित कर दायित्व के विरुद्ध आगत कर का मुजरा (Input Tax Credit) प्रदान किये जाने योग्य है परन्तु हस्तगत प्रकरण में विक्रय आवली (Series of sales) में विकेता व्यवहारी द्वारा वसूल किये गये कर का भुगतान राजकोष में किये जाने का तथ्य सत्यापित होना प्रकट नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु शेष अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, यह पीठ यह उचित समझती है कि प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या विभाग के पक्ष में है। लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा ₹3,45,21,390/- व ₹1,55,12,238/-के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। बकाया मांग राशि नियमानुसार वसूली योग्य है।

8. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।
9. आदेश सुनाया गया।

अमर सिंह
सदस्य

3-2-14

मदन लाल
सदस्य

3.2.2014

